

रजिस्ट्री सं. डीएल(एन) 04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003-05



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 27, 2003—जनवरी 2, 2004 (पौष 6, 1925)
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 27, 2003—JANUARY 2, 2004 (PAUSA 6, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक
(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)
नई दिल्ली

आवास वित्त कम्पनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001

निर्देश सं. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.7/सीएमडी/2003

दिनांक: 10 दिसम्बर, 2003

राष्ट्रीय आवास बैंक, लोक हित में अनिवार्य समझते हुए और इस बात से संतुष्ट होने पर, कि ऐसा करना आवश्यक है, उसके लाभ के लिए, देश की आवास वित्त प्रणाली को विनियमित करने में राष्ट्रीय आवास बैंक को समर्थ बनाने के उद्देश्य से, एतद्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धाराओं 30ए एवं 31 में प्रदत्त शक्तियों के तथा इस बारे में उसकी सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों के प्रयोग में, निर्देश देता है कि आवास वित्त कम्पनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित ढंग से और संशोधित किया जाए, अर्थात्

अनुच्छेद 27 में उप-अनुच्छेद (1) के खंड (क) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"(क) स्वयं अपने उपयोग के अतिरिक्त, उसकी पूंजीगत निधि के बीस प्रतिशत से अधिक कोई राशि भूमि अथवा भवन में निवेश करना।

किंतु यह तब, जबकि ऐसा निवेश उसकी स्वाधिकृत निधि के दस प्रतिशत के अतिरिक्त, केवल आवासीय इकाइयों में किया जाएगा।

नोट :

'पूंजीगत निधि का अर्थ 'टियर-I पूंजी' और 'टियर-II पूंजी' के कुल योग से है।"

वी. श्रीधर

(वी.श्रीधर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NATIONAL HOUSING BANK
(Wholly owned by the Reserve Bank of India)
New Delhi

THE HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 2001

Direction No. NHB.HFC.DIR.7/CMD/2003 dated 10th December 2003

The National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall, with immediate effect, be further amended in the following manner, namely:

In paragraph 27 clause (a) of sub-paragraph (1) shall be substituted by the following, namely, -

“(a) invest in land or building, except for its own use, an amount exceeding twenty per cent of its capital fund.

Provided that such investment over and above ten percent of its owned fund shall be made only in residential units.

Note:

‘Capital fund’ means the aggregate of ‘tier-I capital’ and ‘tier-II capital’.”

V. Sridar

(V. Sridar)

Chairman and Managing Director